

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.



वाद संख्या :- 02 / 192 / 2014

रिछपाल बनाम सुरेश वगैरा  
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 12.04.2018

आज पत्रावली न्यायालय में मूलवाद के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी व प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण 5, 6 व 9 के अलावा शेष अप्रार्थीगण की तामील हेतु दिनांक 20.11.2014 से अवसर दिये जाने के बाद भी तामील नोटिस पेश कर पालना नहीं की गई है नही आज दिनांक को पालना की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी नॉन कम्प्लायन्स में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न जमा लेख भंडार हो।

(प्रताप सिंह, आई.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)